न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 126/2019

ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
शाखा–वैशालीनगर,
जिला अजमेर– अजमेर(राज.)। .....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1) मैसर्स श्री श्याम ग्लास कम्पनी, द्वारा प्रो0 यश गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल
पताः– सीएडीडी सेन्टर, ममता मिष्ठान भंडार के पास, शास्त्री नगर,
जिला– अजमेर 305001(राज.)।

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री हरजीत शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 04.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री यश गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल पताः– सीएडीडी सेन्टर, ममता मिष्ठान भंडार के पास, शास्त्री नगर, जिला– अजमेर(राज.) को दिनांक 16.05.2018 को 2.50 करोड रूपये की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्राथी/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर रिको इण्डस्ट्रियल ऐरिया गेगल अजमेर स्थित प्लॉट नं. एफ 34 क्षैत्रफल 2250 वर्गफीट है, जो श्री यश गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः– उत्तर मेंः–प्लॉट नं0 एफ 35, दक्षिण मेंः– प्लॉट नं0 एफ 33, पूर्व मेंः–निजी भूमि, पश्चिम मेंः–सामान्य रोड, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.05.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 01.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–2,44,22,449.10/– (अक्षरे दो करोड चवालीस लाख बाईस हजार चार सौ उनचास रूपये एवं दस पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गेगल अजमेर स्थित प्लॉट नं. एफ 34 क्षेत्रफल 2250 वर्गफीट है, जो श्री यश गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ है:– उत्तर में:–प्लॉट नं0 एफ 35, दक्षिण में:– प्लॉट नं0 एफ 33, पूर्व में:–निजी भूमि, पश्चिम में:–सामान्य रोड, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्व कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 04.09.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner